तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज इंसाफ खान बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) **सू.अ.अ. अपील संख्या 40 / 2020**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.03.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी इंसाफ खान पुत्र सागर खां, पता गांव रोहिला कलां, पोस्ट झंवर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.12.2019 में उसके द्वारा (1) पंचायत रोहिलाकला के वर्तमान पटवारी के मुख्यालय मुख्य आवास से संबंधित जानकारी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना जरिये पत्रांक 789 दिनांक 19.12.2019 द्वारा दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 142 दिनांक 17.02.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटवारी हलका रोहिलाकलां द्वारा संधारित पी 35 व वर्तमान गिरदावरी खरीफ फसल की प्रमाणित प्रतियां चाही गयी है जिसकी कुल राशि लेण्ड रूल्स 1957 के अनुसार 14820 रूपये बनती है जो इस कार्यालय में जमा कराने हेतु प्रार्थी को जरिये पत्रांक / सू.अ.अ. / 2019 / 789 दिनांक 19.12.2019 के द्वारा लिखा गया, किन्तु प्रार्थी ने उक्त राशि इस कार्यालय में जमा नहीं करवायी जिसके अभाव में प्रार्थी को वांछित सूचना नहीं दी जा सकी। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने नियत अवधि में अपीलार्थी / प्रार्थी को नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु सूचित करने के बावजूद शुल्क जमा नहीं करवाई गई अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	